प्रकाशन हेतु अनुमोदित

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 943/1991

तखत एवम अन्य

विरुद्ध

मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

निर्णय

निर्णय विचारार्थ प्रस्तुत

सहीं/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

माननीय न्यायाधीश श्री राजीव गुप्ता

मैं सहमत हूँ

सहीं/-

मुख्य न्यायाधीश

निर्णय उद्घोषणा हेतु 09/07/2010

सहीं/-

श्री सुनील कुमार सिन्हा

न्यायाधीश

समक्ष माननीय छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय, बिलासपुर (छ.ग.)

कोरम: माननीय श्री राजीव गुप्ता मुख्य न्यायाधीश एवं

माननीय श्री सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश

दांडिक अपील क्रमांक 943/1991

अपीलार्थीगण: 1. तखत, पिता- सुकालू सतनामी, उम्र- 40 वर्ष

2. लच्छु, पिता- सुकालू सतनामी, उम्र- 30 वर्ष

3. कुंजू उर्फ़ चन्द्रिका, पिता- सुकालू सतनामी, उम्र- 35 वर्ष

4. उमेश, पिता- दयालु सतनामी, उम्र- 28 वर्ष

5. भगवानी, पिता- मधु सतनामी, उम्र- 25 वर्ष

6. प्रीतम, पिता- थकहत सतनामी, उम्र- 23 वर्ष

सारे निवासी ग्राम- कन्हारपुरी, पुलिस थाना- तुमगांव, जिला- रायपुर

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

विरुद्ध

प्रत्यर्थी: मध्य प्रदेश राज्य

(वर्तमान में छत्तीसगढ़ राज्य)

(दांडिक अपील अंतर्गत धारा 374(2) दंड प्रक्रिया संहिता, 1973)

उपस्थित:

श्रीमती फौज़िया मिर्ज़ा, अधिवक्ता वास्ते अपीलार्थीगण

श्री किशोर भादुरी, अतिरिक्त महाधिवक्ता वास्ते राज्य

निर्णय

(09/07/2010)

माननीय न्यायालय का यह निर्णय श्रीमान सुनील कुमार सिन्हा, न्यायाधीश द्वारा पारित किया गया है

1. दिनांक 30.09.1991 को सत्र विचारण क्रमांक 159/90 में पारित अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, महासमुन्द के निर्णय से क्षुब्ध होकर, अपीलार्थीगण द्वारा वर्तमान दांडिक अपील प्रस्तुत की गई है। उक्त निर्णय में अपीलार्थीगण को भारतीय दण्ड संहिता की धारा 148 तथा धारा 302/149 के अंतर्गत दोषसिद्ध किया गया है तथा 3 वर्ष के कठोर कारावास एवं आजीवन कारावास से दण्डित किया गया है, इस निर्देश के साथ कि दोनों दंड साथ-साथ चलेंगे ।

2. संक्षेप में तथ्य इस प्रकार हैं :—

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

कुल 13 अभियुक्तों के विरुद्ध धारा 148 एवं 302 तथा वैकल्पिक रूप से धारा 302/149 भा.द.वी. के अंतर्गत अभियोजन चलाया गया। आरोप यह था कि दिनांक 22 नवम्बर 1989 को अभियुक्तगण ने एक विधि विरुद्ध जमाव का गठन किया, घातक आयुक्त से सुसंगत होकर बल्वा में शामिल हुए तथा उस जमाव के समान उद्देश्य अग्रसर करने में ग्राम–कोमा में मृतक भखला की हत्या कारित कर दी।

मृतक के परिवारजन तथा अभियुक्त–अपीलकर्ता मूलतः गाँव कन्हारपुरी के निवासी थे, जो गाँव कोमा से लगभग 1–1½ मील की दूरी पर स्थित है। पूर्व में मृतक भखला, उसका बड़ा भाई समारू तथा उसके दो पुत्र—लक्ष्मीनारायण (अ.सा.क्रं-4) एवं मोहन (अ.सा.क्रं-1)—पर अभियुक्त तखत, लच्छू एवं नारायण के पिता सुकालू की हत्या हेतु अभियोजित किया गया था। वे लगभग 4 वर्ष तक कारागार में रहे तथा सत्र न्यायालय द्वारा दोषसिद्ध किए गए, किन्तु अपील में उच्च न्यायालय ने उन्हें बरी कर दिया। बरी होने के उपरांत भखला एवं उसके परिवारजन गाँव कन्हारपुरी छोड़कर गाँव कोमा में रहने लगे।

घटना के दिन प्रातः 8:00 बजे के लगभग भखला कृषि कार्य हेतु अपने खेत में भैंसा-गाड़ी लेकर गया था। उसी दिन संसदीय निर्वाचन का मतदान दिवस भी था। आरोपानुसार, 13 अभियुक्तगण लाठियों आदि जैसे घातक हथियारों से लैस होकर गाँव कोमा आए। वहाँ उनकी मुलाकात चेती बाई (अ.सा.क्रं-3) — मृतक की पुत्रवधू — से हुई। अभियुक्तों ने उसके साथ गाली-गलौज की तथा मृतक के विषय में घमंडपूर्वक पूछताछ की। चेती बाई ने बताया कि

मृतक खेत पर गया है। इस पर अभियुक्तगण खेत की ओर गए, मृतक को पकड़ा और लाठियों से क्रूरतापूर्वक प्रहार कर उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। जब मृतक खेत में गिर पड़ा, तो अभियुक्तगण 'नाला' मार्ग से गाँव कन्हारपुरी लौट गए, जिन्हें बतूर (अ.सा.क्रं- 15) ने देख लिया।

इसके उपरांत सदाराम (अ.सा.क्रं- 6), बतूर (अ.सा.क्रं-15), मेहतरीन बाई (अ.सा.क्रं- 5 — मृतक की पत्नी), तथा सतरुघन (अ.सा.क्रं-11) खेत पर पहुंचे। उन्होंने मृतक को घायल अवस्था में देखा। वे मृतक को भैंसा-गाड़ी में उसके घर ले जा रहे थे, किन्तु मार्ग में ही उसकी मृत्यु हो गई। अभियोजन का कथन था कि मृतक भखला ने मृत्यु से पूर्व मौखिक मृत्युकालिक कथन मेहतरीन बाई (अ.सा.क्रं- 5), सदाराम (अ.सा.क्रं- 6) एवं सतरुघन (अ.सा.क्रं-11) के समक्ष किया तथा हमलावरों के नाम बताए।

रिपोर्ट दर्ज होने के बाद मृतक का पोस्टमार्टम डॉ. राकेश परडाल (अ.सा.क्रं- 2) द्वारा किया गया, जिन्होंने अपनी रिपोर्ट प्रदर्श पी 4 तैयार की। उन्होंने अनेक बाह्य एवं आन्तरिक चोटों का उल्लेख किया। खोपड़ी में दबावजन्य फ्रैक्चर पाया गया। दाहिनी टेम्पोरल क्षेत्र में एक रेखीय फ्रैक्चर विद्यमान था। दाहिनी 3वीं, 4वीं, 8वीं एवं 9वीं पसलियाँ टूटी हुई थीं। वक्ष-गुहा रक्त से परिपूर्ण थी। गले एवं वायु-नली में भी चोटें पाई गईं तथा वहाँ रक्त-मिश्रित स्राव उपस्थित था। दाहिनी मैनडिबल (जबड़ा) एवं निचला जबड़ा दबा हुआ था तथा बाईं ओर झुका हुआ था। चेहरा पूर्णतः विकृत था। दाँत भी टूटे हुए थे। उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य कई चोटें भी पाई गईं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

जांच के दौरान अभियुक्तों को गिरफ़्तार किया गया तथा उनके कब्जे से रक्तरंजित लाठियाँ बरामद की गईं। इन वस्तुओं को रासायनिक परीक्षण हेतु विधि विज्ञान प्रयोगशाला, सागर भेजा गया, जहाँ से प्रदर्श पी 37 रिपोर्ट प्राप्त हुई। एफ.एस.एल. रिपोर्ट के अनुसार, अभियुक्त तखतराम, लच्छू एवं उमेश के कब्जे से जब्त लाठियों पर रक्त के दाग पाए गए। तथापि अन्य अभियुक्तों की जब्त लाठियों पर रक्त के दाग नहीं मिले। अभियोजन रक्त के स्रोत एवं रक्त-समूह संबंधी सेरोलॉजिस्ट रिपोर्ट प्रस्तुत नहीं कर सका।

3. घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्षी नहीं था तथा अभियोजन का संपूर्ण मामला परिस्थितिजन्य साक्ष्यों पर आधारित था। विद्वान सत्र न्यायाधीश ने 7 अभियुक्तों को आरोपों से बरी कर दिया, जबकि 6 अभियुक्त–अपीलार्थीगण को उपर्युक्त रूप से दोषसिद्ध किया गया। मेहतरीन बाई

(अ.सा.क्रं-5), सदाराम (अ.सा.क्रं-6) तथा सतरुघन (अ.सा.क्रं-11) की इस गवाही पर, कि मृतक ने मृत्यु से पूर्व मौखिक मृत्युकालिक कथन पर सत्र न्यायालय ने विश्वास नहीं किया। सत्र न्यायालय ने यह भी माना कि मृतक द्वारा दिया गया कथित मौखिक मृत्युकालिक कथन चिकित्सक्य साक्ष्य के परिप्रेक्ष्य में अविश्वसनीय होने से उस पर विश्वास नहीं किया। सत्र न्यायाधीश द्वारा मृतक भखला की हत्या के अपराध में अभियुक्त–अपीलार्थीगण को दोषसिद्ध करने हेतु निम्नलिखित परिस्थितियाँ सिद्ध मानी गईं :—

(i) दोनों परिवारों के मध्य वैमनस्य था, अतः अभियुक्त–अपीलार्थीगण के पास मृतक की हत्या करने हेतु प्रबल उद्देश्य था;

(ii) अभियुक्त–अपीलार्थीगण की मुलाकात गाँव में मृतक की पुत्रवधू चेती बाई (अ.सा.क्रं- 3) से हुई, जहाँ उन्होंने मृतक के विषय में पूछा तथा उसके बताए अनुसार वे मृतक के खेत की ओर गए;

(iii) बतूर (अ.सा.क्रं-15) ने तखतराम एवं अन्य 13 व्यक्तियों को 'नाला' मार्ग से गाँव कन्हारपुरी की ओर लौटते हुए देखा, और इसी के तुरंत बाद सदाराम (अ.सा.क्रं- 6) तथा बतूर (अ.सा.क्रं- 15) ने मृतक भखला को उसके खेत में घायल अवस्था में पाया; तथा

(iv) अभियुक्त–अपीलार्थीगण के कब्जे से छह लाठियाँ जब्त की गईं, जिनमें से तीन पर रक्त के धब्बे पाए गए।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4. श्रीमती फ़ौज़िया मिर्ज़ा, अपीलार्थीगण की अधिवक्ता , ने यह तर्क प्रस्तुत किया कि सत्र न्यायाधीश ने धारा 148 एवं 302/149 भा.द.वी. के अंतर्गत अभियुक्त–अपीलार्थीगण को दोषी ठहराने में विधि की त्रुटि की है। उनका कहना था कि सत्र न्यायालय द्वारा जिन परिस्थितियों को सिद्ध माना गया है, यदि उन्हें यथावत स्वीकार भी कर लिया जाए, तब भी वे इस निष्कर्ष तक नहीं ले जातीं कि अभियुक्त–अपीलार्थीगण ने मृतक की हत्या की। अधिकतम यह परिस्थितियाँ दर्शाती हैं कि अभियुक्त–अपीलकर्ता केवल मृतक के बारे में पूछताछ कर रहे थे तथा वे उसके खेत की दिशा में गए थे, इससे अधिक नहीं। विद्वान अधिवक्ता ने इन परिस्थितियों में भी विभिन्न विसंगतियों की ओर ध्यान आकर्षित किया।

5. दूसरी ओर, राज्य की ओर से उपस्थित श्री किशोर भादुड़ी, विद्वान अतिरिक्त महाधिवक्ता, ने इन तर्कों का विरोध किया तथा सत्र न्यायालय द्वारा पारित निर्णय का समर्थन किया।

6. हमने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं के तर्कों को विस्तारपूर्वक सुना है तथा सत्र प्रकरण के अभिलेखों का अवलोकन भी किया है।

7. धनंजय चटर्जी बनाम राज्य पश्चिम बंगाल, (1994) 2 एस सी सी 22 में माननीय सर्वोच्च न्यायालय ने यह प्रतिपादित किया कि—

"परिस्थितिजन्य साक्ष्य पर आधारित मामले में, जिन परिस्थितियों के आधार पर अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे न केवल पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए बल्कि वे इतनी निश्चायक एवं ठोस प्रकृति की होनी चाहिए कि वे केवल अभियुक्त के दोष की धारणा से ही संगत हों। ऐसी परिस्थितियाँ किसी अन्य धारणा से व्याख्यायित नहीं हो सकतीं, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है। साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण होनी चाहिए कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में कोई भी मुक्तियुक्त संदेह शेष न रहे। यह किसी स्मरण की आवश्यकता नहीं कि विधिसम्मत रूप से सिद्ध परिस्थितियाँ — न कि केवल न्यायालय का आक्रोश — दोषसिद्धि का आधार बन सकती हैं, और अपराध जितना गंभीर होगा, साक्ष्यों की जाँच–परख उतनी ही सावधानीपूर्वक की जानी चाहिए, ताकि संदेह को प्रमाण का स्थान न मिल सके।"

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

8. बोध राज उर्फ बोधा एवं अन्य बनाम राज्य जम्मू एवं कश्मीर, ए.आई.आर 2002 एस सी 3164 में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रतिपादित किया कि इसमें कोई संदेह नहीं कि केवल परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर भी दोषसिद्धि की जा सकती है, परंतु ऐसी दोषसिद्धि से पूर्व आवश्यक पूर्वापेक्षाएँ पूर्णतया सिद्ध होनी चाहिए। वे इस प्रकार हैं :—

जिन परिस्थितियों से अभियुक्त के दोष का निष्कर्ष निकाला जाना है, वे पूर्णतः सिद्ध होनी चाहिए। संबंधित परिस्थितियाँ 'होनी चाहिए', न कि 'हो सकती हैं'— अर्थात् उनका सिद्ध होना अनिवार्य है।

(2) सिद्ध तथ्य केवल अभियुक्त के दोष की धारणा से ही संगत होने चाहिए — अर्थात् उनकी व्याख्या किसी अन्य धारणा से संभव नहीं होनी चाहिए, सिवाय इसके कि अभियुक्त दोषी है।

(3) परिस्थितियाँ निश्चायक एवं ठोस स्वरूप की होनी चाहिए।

(4) वे सभी संभावित धारणाओं को अपवर्जित कर दें, सिवाय उस धारणा के, जिसे सिद्ध किया जाना है।

(5) साक्ष्यों की श्रृंखला इतनी पूर्ण हो कि अभियुक्त की निर्दोषता के पक्ष में कोई भी युक्तियुक्त संदेह शेष न रहे तथा यह प्रदर्शित करे कि मानवीय संभावनाओं की कसौटी पर अपराध अभियुक्त द्वारा ही किया गया होगा।

9. स्टेट ऑफ गोवा बनाम संजय ठकरेन एवं अन्य, 2007 (4) एसबीआर 321 में भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसी प्रकार का दृष्टिकोण अपनाया तथा बोध राज (पूर्वाक्त) के निर्णय का अनुसरण किया।

10. अब वर्तमान मामले की ओर पुनः ध्यान देते हुए, यह स्पष्ट होता है कि चेती बाई (अ.सा.क्रं- 3) की गवाही से केवल यह स्थापित होता है कि अभियुक्त–अपीलार्थीगण ने गाँव में उससे मुलाकात की, उसे गाली-गलौज की तथा मृतक के विषय में पूछा, जिस पर उसने बताया कि मृतक खेत पर गया है। उसका यह कथन कि अभियुक्त इसके पश्चात् खेत की दिशा में जा रहे थे, उसके 161 द.प्र.स के कथन (प्रदर्श डी 1) में इस भाग का लोप पाया गया। अतः उसकी गवाही से केवल यही परिस्थिति सिद्ध होती है कि अभियुक्त–अपीलकर्ता तथा दो अन्य अभियुक्त—जिनके नाम भी उसने बताए—गाँव में उससे मिले, वे लाठियाँ धारण किए हुए थे तथा मृतक के विषय में पूछताछ कर रहे थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

यह निर्विवाद है कि खेत (घटना स्थल) गाँव से काफी दूरी पर स्थित है। अतःयह निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता कि इस गवाह से मिलने के पश्चात् उक्त समूह के साथ क्या हुआ। क्या अभियुक्तगण वास्तव में खेत की ओर गए, अथवा वहीं बिखर गए, या उनमें से कुछ खेत की दिशा में गए या कोई भी वहाँ नहीं गया — इसका कोई निश्चित प्रमाण उपलब्ध नहीं है।

11. बतूर (अ.सा.क्रं-15) ने अपने कथन में कहा कि वह अपने खेत में कार्य कर रहा था, जो भखला के खेत से लगभग 2 फ़र्लांग की दूरी पर स्थित है। उसने भखला के खेत की दिशा से शोर सुना। वह वहाँ पहुँचा और देखा कि अभियुक्त तखत तथा 8 पुरुष एवं 4 स्त्रियाँ — कुल 13 व्यक्ति — भखला के खेत के पास स्थित नाले से होकर गाँव कन्हारपुरी की ओर जाते हुए दिखाई दे रहे थे।

उसने स्पष्ट रूप से कहा कि इन 13 व्यक्तियों में से वह केवल तखत को पहचानता था, शेष को नहीं।

अभियोजन द्वारा उसे पक्षद्रोही घोषित किया गया तथा उसके पुलिस केस डायरी कथन (प्रदर्श पी-29) से सामना कराया गया। लोक अभियोजक द्वारा प्रतिपरीक्षण में उसने स्पष्ट रूप से कहा कि उसने लच्छू, कुंजू, उमेश, भगवानी, नारायण, प्रीतम, दयालू, बसंत, कुसुम, जानकी, जमुना और भानमती के नाम उन व्यक्तियों के रूप में अपनी पुलिस डायरी में नहीं बताए थे जिनको वह समूह में देखा है; और यह भी नहीं बता सका कि पुलिस ने उसके नाम बताने के रूप में वे नाम कैसे लिख दिए।

बचाव पक्ष द्वारा किये गए प्रतिपरीक्षण के पैरा 9 में उसने स्वीकार किया कि भखला के खेत से शोर सुनने के बाद जब वह अपने खेत की मेढ़ पर गया कि क्या हो रहा है, तो वह कुछ नहीं देख सका क्योंकि दोनों खेतों के बीच घास बहुत ऊँची थी। उसने यह भी स्वीकार किया कि वह नहीं देख सका कि मृतक पर किसने प्रहार किया। साक्ष्य के मूल्यांकन में यह स्पष्ट होता है कि इस गवाह के कथन से कोई महत्वपूर्ण तथ्य सिद्ध नहीं हुआ। उसके अनुसार, वह केवल तखत को पहचानता था, और राज्य के अधिवक्ता द्वारा किये गए प्रतिपरीक्षण में भी उसने अन्य व्यक्तियों के नाम नहीं बताए, जो कथित रूप से उसने पुलिस को बताए थे।

जो उसके केस-डायरी कथन के समय नहीं बताए गए थे। हमारे विचार में यह उसके साक्ष्य में एक महत्त्वपूर्ण विरोधाभास था और उसकी गवाही सर्वथा अविश्वसनीय प्रतीत होती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

12. सदाराम (अ.सा.क्रं-6) ने यह कथन किया कि—

“जब वह अपने खेत में काम कर रहा था, जो भखला के खेत से 4–5 खेत आगे था, उसने भखला की आवाज़ सुनी—‘भागो-भागो’, ‘बचाओ-बचाओ’। इस पर उसने भखला के खेत की ओर देखा परंतु ऊँची घास होने के कारण वह कुछ भी नहीं देख सका। फिर वह भखला के खेत की ओर गया। खेत में उसे कोई व्यक्ति दिखाई नहीं दिया; हाँ, उसने वहाँ बतूर (अ.सा.क्रं-15) को देखा। उसने बतूर को पुकारकर पूछा कि क्या हुआ? इस पर बतूर ने बताया कि 13 व्यक्ति गाँव कन्हारपुरी की ओर भाग रहे थे; उसने भी शोर सुना था, इसलिए वह वहाँ आया था।”

भखला अपने खेत में पड़ा हुआ था और उसके शरीर पर अनेक चोटें थीं। इस साक्षी के अनुसार, भखला बोल रहा था और उसने बताया कि तखत एवं लच्छू के परिवार के लोगों ने उस पर हमला किया।

इस साक्षी के अनुसार, भखला ने मृत्यु-कालिक मौखिक कथन वहीं खेत में लेटे-लेटे किया था, जबकि यह कथन उसके 161 द.प्र.स के बयान (प्रदर्श डी-6) में इसका स्पष्ट लोप है। उसके केस-डायरी कथन में यह उल्लेख है कि भखला को भैंसा-गाड़ी पर ले जाते समय उसने हमलावरों के नाम बताए थे।

हम पाते हैं कि इन सभी कारणों के अतिरिक्त, यह तथ्य भी महत्त्वपूर्ण है कि पोस्ट-मार्टम रिपोर्ट के अनुसार भखला को अनेक गंभीर चोटें थीं और डॉक्टर की गवाही थी कि ऐसी चोटें लगने पर वह लगभग पाँच मिनट के भीतर वहीं घटनास्थल पर मृत्यु को प्राप्त हो जाता। इन सब तथ्यों के आधार पर विद्वान सत्र न्यायाधीश ने मृतक द्वारा कथित मौखिक मृत्यु-कालिक कथन को अविश्वसनीय मानते हुए उसे स्वीकार नहीं किया। अतः अ.सा.क्रं- 6 के साक्ष्य से मृतक को उसके खेत में घायल अवस्था में देखने और मृतक को भैंसा-गाड़ी द्वारा उसके घर ले जाने में मृतक के परिवारजनों की सहायता करने के अतिरिक्त कोई भी तथ्य अभियुक्तों के विरुद्ध अपराध-सूचक रूप में सिद्ध नहीं हुआ।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. जहाँ तक लाठियों की जब्ती से संबंधित परिस्थिति का प्रश्न है, वह भी अभियुक्त–अपीलार्थीगण के विरुद्ध कोई अभियोगात्मक साक्ष्य प्रस्तुत नहीं करती। जैसा कि पूर्व में उल्लेखित है, अभियुक्त भगवानी, कुंजू एवं नारायण के कब्जे से जब्त लाठियों पर कोई रक्त के धब्बे नहीं पाए गए।

साथ ही अभियुक्त तखत, लच्छू एवं उमेश के कब्जे से जब्त लाठियों पर पाए गए रक्त के धब्बों के संबंध में रक्त का स्रोत एवं रक्त-समूह ज्ञात करने हेतु कोई सीरम विज्ञानी की रिपोर्ट उपलब्ध नहीं है।

उपर्युक्त तथ्यों की अनुपस्थिति में, रक्तरंजित लाठियों की यह अकेली परिस्थिति अभियुक्तों को वर्तमान अपराध से जोड़ने हेतु पर्याप्त नहीं मानी जा सकती।

14. अभियोजन द्वारा प्रस्तुत समस्त साक्ष्यों के सम्यक् मूल्यांकन पर हम इस निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि यद्यपि पूर्व वैमनस्य के कारण प्रबल उद्देश्य की परिस्थिति अभियुक्त–अपीलार्थीगण के विरुद्ध सिद्ध हुई है, परंतु अभियोजन द्वारा उन पर दोषारोपण हेतु जिन अन्य परिस्थितियों का सहारा लिया गया, वे व्याख्यायित थीं तथा वे इतनी निश्चायक नहीं थीं कि वे सभी संभावित धारणाओं को अपवर्जित कर केवल अभियुक्तों के दोष की ही ओर संकेत करें।

हम यह भी पाते हैं कि अभियोजन साक्ष्यों की संपूर्ण श्रृंखला स्थापित करने में असफल रहा है, जिससे अभियुक्तों की निर्दोषता के अनुरूप किसी भी संभावित युक्तियुक्त संदेह की गुंजाइश समाप्त होती। हमारे विचार में, प्रस्तुत परिस्थितियों से यह सिद्ध नहीं होता कि मानवीय संभावनाओं की कसौटी पर अपराध अभियुक्तों द्वारा ही किया गया था।

15. उपर्युक्त कारणों से, हमारा यह निष्कर्ष है कि अभियोजन अभियुक्त–अपीलार्थीगण का अपराध संदेहातीत प्रमाण के स्तर पर सिद्ध करने में असफल रहा है, और इस प्रकार सत्र न्यायालय द्वारा दर्ज किया गया दोषनिर्णय एवं निर्णय–विवेचन विधि तथा साक्ष्यों की दृष्टि से स्थिर रखे जाने हेतु लायक नहीं है।

16. परिणामस्वरूप, अपील स्वीकृत की जाती है। अभियुक्त–अपीलार्थीगण के विरुद्ध पारित दोषसिद्धि एवं दंडादेश निरस्त किए जाते हैं। अभियुक्त–अपीलार्थीगण को उनके विरुद्ध आरोपित अपराधों से दोषमुक्त किया जाता है।

अभियुक्त–अपीलकर्ता जमानत पर हैं। अतः उनके जमानत एवं बंधक निरस्त किए जाते हैं तथा प्रतिभूति उन्मोचित की जाती हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

सहीं/-
मुख्य न्यायाधीश

सहीं/-
श्री सुनील कुमार सिन्हा
न्यायाधीश

<u>अस्वीकरण:</u> हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यावहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेज़ी स्वरूप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयता दी जाएगी।

<u>Translated by:</u> Adv. Navdeep Agrawal

-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur